BEFORE THE PUBLIC NOTARY, DURG (M.P.)

-:: AFFIDAVIT ::-

I, Mr. Tatarao S/o. Appanna, aged about 32 years, Resident of Camp - I, Bhilai, Distt. Durg (M.P.) do state on solemn affirmation as under :-

1. That I was an employee of Beekay Casting Ltd., Bhilai on the post of Moulder and a permanent resident of Bhilai, Distt. Durg (M.P.).

2. That as resident of Camp - I, Bhilai, Mr. Gyan Prakash Mishra a co- accused in the Niyogi murder case (St. Vs. Chandra Kant Shah & others; S.T.No. 233/92) is known to me since many years as he too resides in Camp - I, Bhilai.

3. That when accused Gyan Prakash Mishra was released from judicial custody on bail on 18th Aug. '95 a big rally was organised in which several anti-social elements of Bhilai-Durg area participated.

4. That Mr. Devendra Patni, prosecution witness No. 59 (illegible) in the above said murder case had arranged about fifty vehicles to collect people for the rally and these vehicles were part of the rally too, From the drivers of these vehicles I came to know that Mr. Devendra Patni had spent around rupees 250/- each for the vehicles.

5. That I had witnessed the rally organised to receive accused Gyan Prakash Mishra, which went around the light industrial area where several of the witnesses in the above said case.reside.

DEPONENT

Tatarao

CONTD...2/-

VERIFICATION :-

I, Mr. Tatarao S/o Shri Appanna aged about 32 years R/o. Camp - 1, Bhilai, District - Durg (M.P.) do verify the contents of the above affidavit para 1 to 5 as true and correct according to my personal knowledge and belief and information received, So I have signed on 06th November, 1995 at Durg (M.P.)

Tatarao

DEPONENT

Sworn before me on the .... day of .... 19..

by ....

who has been identified by .... signature are

who is personally .... 19 .

The ... been read ... present ... approved ... admitted ...

The executant ... this document

has/have identified by Shri ....

NOTARY

Jabalpur

4 DEC 1995

नियोगी हत्याकांड

आरोपी ज्ञानप्रकाश की जमानत पर जेल से रिहाई, जोरदार रैली

दुर्ग (अमृत संदेश)। स्व. शंकरगुहा नियोगी हत्याकांड के एक प्रमुख आरोपी ज्ञानप्रकाश मिश्रा उर्फ भानू की जमानत पर जेल से रिहाई की खुशी मे आज नगर मे जोरदार एव आकर्षक रैली निकाली गई जिसमे भिलाई एव दुर्ग नगर के सैकडो ने भाग लिया। नगर वासियो अब तक राजनैतिक अथवा धार्मिक नेताओ के स्वागतार्थ रैलिया देखने का सुअवसर मिला था किंतु हत्याकांड से जुडे आरोपी के स्वागतार्थ रैली देखने का नगरवासियो केलिए यह पहला अवसर था।

जबलपुर उच्च न्यायालय के आदेश पर ज्ञानप्रकाश मिश्रा को जमानत पर प्रात १० बजे जिला जेल से रिहा किया गया। ज्ञानप्रकाश को श्रमिक नेता श्री नियोगी की हत्या के आरोप मे वर्ष ९१ मे गिरफ्तार [illegible] था, तब से वह स्थानीय जिला जेल में [illegible] विचाराधीन बंदी के रुप में कैद था। पिछले सप्ताह जबलपुर उच्च न्यायालय ने उनकी जमानत मंजूर की थी। चार वर्षो की लगातार कैद के बाद आज प्रात: जब जिला जेल से उन्हें रिहा किया गया तो उनके स्वागत हेतु जेल से बाहर सैकडो की तादाद मे दुर्ग भिलाई के उनके मित्र पारिवारिक शुभचिंतक तथा भिलाइ औद्योगिक क्षेत्र के लोग उपस्थित थे। ज्ञानप्रकाश की रिहाई की खुशी मे फिर एक भव्य रैली निकाली गईजिसमे उनके स्वागतार्थ एकत्रित लोग सम्मिलित हुए। इस रैली मे बड़ी संख्या मे युवक आगे आगे मोटर साइकिलो पर चल रहे थे। उनके पीछे कार एव जीपो की लंबी कतार थी। जब यहरैली नगर के मुख्य मार्गो से गुजरी तो लोगो को लगा कि यह किसी राजनैतिक नेता की रैली होगी किन्तु उन्हे जब यह मालूम हुआ कि यह आकर्षक रैली स्व. नियोगी हत्याकांड के आरोपी ज्ञानप्रकाश की है तो लोगो ने तरह तरह की प्रतिक्रियाए व्यक्त की। यह रैली नगर भ्रमण केबाद भिलाई रवाना हो गई। आज दिन भर इस रैली की नगर मे चर्चा रही। A·S.23·8·97